परिशिष्ट - `घ`

दारागंज

कर्मचारियों के कर्त्तव्य :

साधारण और सहायक नियमों कर्तव्यों तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों के अतिरिक्त दैनिक संचालन कार्यों से सम्बन्धित स्टेशन कर्मचारिंयों का निम्नलिखित सामान्य कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व होगा :-

(1) स्टेशन मास्टर

(अ) स्टेशन मास्टर, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी है तथा सही, कुशल एवं सुरक्षित कार्य के लिये सामान्य रुप से उत्तरदायी होगा । कार्यक्षमता का ऊँचा मानक प्राप्त अथवा कायम करने के लिये स्टेशन मास्टर का यह कर्त्तव्य है कि सभी श्रेणियों के कर्मचारी आवश्यकता होने पर उसकी उपस्थिति अनुभव करें । स्टेशन मास्टर के कर्त्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

(क) स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारिंयों का सामान्य पर्यवेक्षण ।

(ख) सभी श्रेणियों के कर्मचारी अपने रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा सही एवं सुरक्षित कार्य-पद्धति अपनायी जा रही है, इसे सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जाँच ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी कर्मचारिंयों को उनसे सम्बन्धित कार्य का पूर्णरुपेण ज्ञान है का आवधिक परीक्षण एवं जाँच ।

(घ) दुर्घटना बचाने तथा सुरक्षित एवं सही कार्य-पद्धति के प्रयोग के लिये कर्मचारिंयों को प्रशिक्षित करना ।

(ड.) दिन और रात्रि के सिगनलों, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय में नियम पुस्तकों, डायरी, गाडी पंजिका और अन्य प्रपत्र जो गाडी संचलन के रख-रखाव अथवा प्रयोग में आते हैं, का प्राय: निरीक्षण करते रहना ।

(च) यार्ड तथा यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण ।

(छ) आश्वासन पंजिका तथा स्टेशन संचालन नियमावली का समुचित रख-रखाव ।

(ज) सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन को सुलझाना तथा उनकी रिपोर्ट करना ।

क्रमश: पृष्ट सं0 2 पर

(झ) तरीकों एवं उपायों का सुझाव ।

(ब) स्टेशन मास्टर के वे सभी कर्तव्य भी होगें जो निम्नलिखित उपबन्ध सं. 2 में सहायक स्टेशन मास्टर के लिए निर्धारित हैं ।

2. सहायक स्टेशन मास्टर :-

गाडियों के संचालन और प्रस्थान से सम्बन्धित विषयों, स्टेशन तथा उसके संचालन के लिये कार्य पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर प्रभारी(इन्चार्ज) रहेगा । गाडी संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों उसके आदेशों और अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगें । उसकी ड्यूटी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) यार्ड, कांटों, सिगनलों, कांटा संकेतकों,कांटे कुंजी बाक्स, लाइन नम्बर लेबुलों, अन्य सुरक्षा उपकरणों, प्राइवेट नम्बर पुस्तिकाओं और सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों में गाडी संचलन के लिए आवश्यक पुस्तकों की स्थिति की जानकारी करना, सुनिश्चित करना कि इस सम्बन्ध में स्टेशन डायरी में प्रविष्टियाँ कर दी गयी हैं ।

(ख) अपनी कार्य की अवधि मे सभी गाडियों के लिये लाइन क्लीयर देना तथा प्रस्थान करने वाली गाडियों के चालकों को प्रस्थान आदेश देना सुनिश्चित करेगा ।

(ग) ब्लॉक उपकरणों का परिचालन और नियंत्रण टेलीफोन पर व्यक्तिगत उपस्थिति ।

(घ) सामान्य एवं सहायक तथं स्टेशन संचालन नियमावली के अनुसार गाडियों को लेना व प्रेषित करना ।

(ड.) सभी सिगनलों के परिचालन का नियंत्रण ।

(च) शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षण ।

(छ) जाने वाली गाडियों के ड्राइवरों को आवश्यकतानुसार ``काशन आर्डर`` और डिफेक्टिव सिगनल और त्रुटिपूर्ण संकेतनों को ``एडवाइस`` जारी करना ।

(ज) स्टेशन डायरी का अनुरक्षण ।

(झ) प्राइवेट नम्बर पुस्तिका तथा कांटा कुन्जी बाक्स की चाभी का व्यक्तिगत संरक्षण ।

(ट) कर्मचारिंयों के कार्य का पर्यवेक्षण ।

(ठ) सामान्य या विशेष आदेशेां द्वारा वांछित अन्य कर्तव्यों का सही निष्पादन ।

(ड) स्टेशन मास्टर की ड्यूटी के बाद स्टेशन सामान्य पर्यवेक्षण ।

क्रमश: पृष्ट सं0 3 पर

(दीपक वर्मा)
मसिदूइं / वाराणसी

(एन. एन. दास)
मपचाप्र / वाराणसी

3. **कांटावाला**

कांटावाला, गाडियों के आगमन व प्रस्थान तथा शंटिंग के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेश के पालन हेतु उत्तरदायी है । उसे स्टेशन के सुरक्षित एवं तत्परता से कार्य संचालन हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर के सभी आदेशों का पालन करना है । इसके अतिरिक्त कांटावाला के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है :-

(क) गाडियों के आगमन के सम्बन्ध में :-

(i) यार्ड में पडने वाले सभी सम्मुख कांटों को उचित ढंग से सेट करके ताला लगाना ।

(ii) मार्ग में पडने वाले सभी अनुमुख कांटों को सेट करना ।

(iii) लाइन जिस पर गाडी आनी है को सभी प्रकार के अवरोधों से पूर्णत: साफ है एवं मुक्त सुनिश्चित करें ।

(iv) आवश्यकता पडने पर लाइन लेबुल को लाइन बैज से आदान प्रदान करना ।

(v) गाडियों के आगमन हेतु सिगनलों को आफ करने के पूर्व सबसे बाहरी कांटे के निकट से " आल राइट " सिगनल, कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ आदान-प्रदान करना ।

(vi) दिन के समय टेल बोर्ड और रात्रि के समय टेल लैम्प / लाइट को देखकर गाडी के पूर्ण आगमन को सुनिश्चित करना ।

(ख) गाडियों के प्रस्थान के सम्बन्ध में :-

(i) यदि मार्ग में कोई सम्मुख कांटा पडता हो तो उसे उचित ढंग से सेट करके ताला बन्द करना ।

(ii) मार्ग में पडने वाले कांटों को उचित ढंग से सेट करना ।

(iii) लाइन जिससे प्रस्थान करना है सभी प्रकार के अवरोधों से साफ एवं मुक्त है सुनिश्चित करना है ।

(iv) सबसे बाहरी कांटे के समीप से कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ ``आल राइट`` संकेतकों का आदान - प्रदान करना ।

(v) अनुमुख कांटों को रक्षित करना तथा जाने वाली विशेषकर ``रन थ्रू`` गाडियों को आफ छोर से ध्यान पूर्वक देखना ।

(vi) दिन में टेल बोर्ड तथा रात्रि में टेल लैम्प / लाइट देखकर गाडी का सम्पूर्ण जाना सुनिश्चित करना ।

क्रमश: पृष्ट सं0 4 पर

(दीपक वर्मा)
मसिदूइं / वाराणसी

(एन. एन. दास)
मपचाप्र / वाराणसी

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार तथागाडी के गार्ड के पर्यवेक्षण में स्टेशन पर गाडी की शंटिंग कराना ।

(viii) आवश्यकता पडने पर गाडी को पाइलट करना ।

(ix) आवश्यकता पडने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशानुसार पटाखा (फाग सिगनल) लगाना ।

(x) अपने संचालन हेतु आवंटित कांटों का सामान्य अनुरक्षण तथा बैलेस्ट धूल इत्यादि से साफ - सुथरा रखना ।

(xi) स्टेशन के किसी भी लाइनपर रखे गये वाहनों को संरक्षा पेनों तथा तालों से सुरक्षित करना ।

नोट इसके अतिरिक्त गुमटी पर तैनात कांटावाला अप आउटर सिगनल की विफलता की दशा में चालक केा अप आउटर सिगनल को पास करने हेतु चालक को प्रोसीड सिगनल देने से पूर्व स्टेशन मास्टर से बात कर आदेश प्राप्त करेगा जो प्राईवेट संख्या के आदान-प्रदान से पुष्टिकरण होगा । अप आउटर सिगनल को रात्रि में निर्धारित अवधि में जलते रखने की भी जिम्मेदारी है । इसके खराब होने की तत्काल सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर, दारागंज को देगा ।

4. लाइन क्लीयर वाहक :-

(i) यदि कोई प्रस्थान आदेश और/या काशन आर्डर हो तो उसे गाडी चालक को देगा ।

(ii) दूसरे स्टेशन से आये हुए प्रस्थान आदेश को जिसे चालक ने दिया हो लाना और उसे कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना ।

(iii) आगमन सिगनलों को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेश से टेक आफ करना ।

(iv) रुकने वाली गाडियों के गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना ।

(v) यात्रियों को पानी की आपूर्ति करना ।

(vi) जावक तथा आवक पैकेज को उतारना तथा बढाना ।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये सभी संगत अनुदेशों का पालन करना ।

(viii) गाडियों के लाइन क्लीयर होने के तत्काल पश्चात तथा यात्री गाडी को प्रस्थान देते समय स्टेशन घंटी बजाना ।

(दीपक वर्मा)
मसिदूइं / वाराणसी

(एन. एन. दास)
मपचाप्र / वाराणसी